हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 109

वीरवार, 02 अप्रैल, 2026/12 चैत्र, 1947(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा विशेष उल्लेख

"इससे पहले कि मैं प्रश्न काल आरंभ करूं, मैं आप सभी को सूचित करना चाहूंगा कि विशिष्ट अतिथि दीर्घा में आज निर्वासित तिब्बियन सरकार के मुख्य प्रतिनिधि कार्यालय, शिमला के मुख्य प्रतिनिधि Sh. Lhakpa Tsering के साथ अन्य प्रतिनिधि विराजमान हैं। मैं सदन की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यह भी सूचित करना चाहता हूं कि तिब्बियन धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा जी के 90वें जन्मदिन को करुणावर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर खामोश लोगों की ओर से "VOICE FOR THE VOICELESS" पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसकी प्रति माननीय सदस्यों को वितरित करने हेतु प्राप्त हुई है जोकि माननीय सदस्यों को भेंट कर दी जाएगी।"

आज इस सदन के सम्माननीय सदस्य श्री राजेश धर्माणी, श्री सुरेश कुमार और श्रीमती कमलेश ठाकुर का जन्म दिवस भी है, आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज हनुमान जी की जयंती भी है।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 4268 से 4271 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा मुख्य मंत्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्याः 4268 के पश्चात अगला प्रश्न पुकार दिए जाने के बावजूद माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा पिछले प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने हेतु बार-बार अनुमति के लिए आग्रह करने पर माननीय अध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि-

"Whenever the Speaker addresses the House it is the duty of all the Hon'ble Members to listen to him. It is a convention, it is a precedence and it is mentioned under Rule 299."

तारांकित प्रश्न संख्याः 4272 से 4286 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1675 से 1689 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

शून्य काल

1. **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, माननीय सदस्य** ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए बालूगंज से जतोग की ओर जाने वाली सड़क पर तवी मोड़ से आगे नीचे उतराई के पास, पावर हाउस के पीछे मुख्य सड़क पर एक बहुत बड़ा गड्ढा होने से वहां से गुजर रहे वाहनों को हो रही दिक्कत बारे विषय उठाया तथा चाहा कि इस बारे में संबंधित विभाग को निर्देश दिए जाएं।

Hon'ble Speaker said -

"This house has taken a cognizance of your issue under the Zero Hour. We will issue necessary instructions to the concerned department and we will also inform you accordingly. Your issue is taken up under the Zero Hour, not as a Point of Order."

2. **डॉ0 जनक राज, माननीय सदस्य** ने सदन का ध्यान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की ओर आकर्षित किया जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए ताकि उनकी पढ़ाई में पकड़ मजबूत हो तथा यदि स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य रूप से लागू ही करना है तो प्राथमिक स्तर पर विशेष रूप से अंग्रेजी विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।
इस पर **माननीय शिक्षा मंत्री** ने कहा कि स्थानीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने के लिए विभागीय स्तर पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही विभाग ने यह निर्णय लिया है कि कक्षा प्रथम से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू की जाएगी।

3. **श्री भवानी सिंह पठानिया, माननीय सदस्य** ने स्कूल्ज के बाहर लिखे गए स्लोगन - 'Come to Learn, Go to Serve' के बारे में विषय उठाते हुए कहा कि आज हमें अपनी जनरेशन को 'लीडरशिप' टाइप सिग्नेलिंग देनी चाहिए क्योंकि जब बच्चा 10-12 वर्षों तक इस तरह का एक ही

स्लोगन पढ़ता है तो उसका कहीं-न-कहीं सबसर्विएंट माइंड सैट विकसित होना शुरू हो जाता है इसलिए इसकी जगह -'Come to Serve, Go to Lead' इत्यादि स्लोगन स्कूलों में लिखे जाने चाहिए।

इस पर माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है जिस पर विभाग निश्चित तौर पर विचार करेगा।

4. **श्री इन्द्र सिंह गांधी**, **माननीय सदस्य** ने अपने विधान सभा क्षेत्र के नेरचौक शहर में सड़कों के दोनों तरफ की नालियों को दुरूस्त करने बारे विषय उठाया।

Hon'ble Speaker said that we have taken a cognizance of this issue and we will take up this issue with the respective department and the officers concerned. The action taken will be informed to you and we will also see that the issue which you have pointed out the department takes care of that.

5. **डॉ0 हंस राज**, **माननीय सदस्य** ने चुराह विधान सभा क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण सड़कों की खस्ता हालत बारे विषय उठाते हुए वहां पर अधिशासी अभियन्ता की नियमित तौर पर तैनाती हेतु आग्रह किया।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य के विषय का उन्होंने संज्ञान लिया है और विभाग को निर्देश दिए जाएंगे कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई से माननीय सदस्य तथा सदन को भी अवगत करवाएं।

6. **कुमारी अनुराधा राणा, माननीय सदस्या** ने कुंजुम सड़क बहाली के विषय में सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि इस सड़क के चौड़ीकरण तथा मैटलिंग का कार्य चल रहा है परन्तु इसमें जिन तीन कम्पनियों को यह कार्य दिया गया है, उनमें से एक कम्पनी का कार्य धीमी गति से हो रहा है, जिस कारण से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि निश्चित तौर माननीय सदस्या ने एक गंभीर विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया है और आपने अपनी वेदना व सेंटिमैंट्स इस विषय के ऊपर रखे हैं जिसका माननीय सदन ने संज्ञान लिया है। मैं विभाग से कहूंगा कि तथाकथित कंपनी जिसने सारे प्रदेश में

काम लेकर रखा है उनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाए तथा कृत कार्रवाई से माननीय सदन और माननीय सदस्या को भी अवगत करवाया जाए। क्योंकि शून्यकाल को मैं मॉनिटर कर रहा हूं so I assure the Hon'ble Members that I will also look into all these affairs personally.

7. **श्री जीत राम कटवाल, माननीय सदस्य** ने शाहतलाई बाबा बालक नाथ की नगरी के सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट के बारे में विषय उठाते हुए कहा कि इस कार्य के लिए वर्ष 2011 में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल मिलने के बावजूद अभी तक यह स्कीम अधर में लटकी हुई है।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि निश्चित तौर पर माननीय सदस्य ने एक गंभीर विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया है जिस पर उन्होंने व माननीय सदन ने संज्ञान लिया है। मैं चाहूंगा कि विभाग इसके ऊपर शीघ्र कार्रवाई करे और कृत कार्रवाई से माननीय सदन व माननीय सदस्य को भी सूचित किया जाए।

8. **श्री मलेन्द्र राजन, माननीय सदस्य** ने प्रदेश के छोटे ठेकेदारों द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के एवज में उन्हें समय पर पेमैंट न मिलने बारे विषय उठाया तथा चाहा कि ठेकेदारों के भुगतान के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की जाए और इसके लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण विषय सदन के ध्यान में लाया है जिसका विधान सभा सचिवालय ने संज्ञान लिया है। हम चाहेंगे कि सरकार निश्चित तौर पर इस विषय के ऊपर कदम उठाए तथा की गई कार्रवाई से आपको और इस सदन को भी अवगत करवाएं।

9. **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, माननीय सदस्य** ने विषय उठाया कि 'आत्मा प्रोजैक्ट' के माध्यम से सरकार ने किसानों से हल्दी खरीदने का प्रावधान किया है जिससे प्रोत्साहित होकर किसानों ने ज्यादा-से-ज्यादा हल्दी का उत्पादन किया लेकिन जिस कंपनी को हल्दी इकट्ठा करने का काम दिया गया है वह कंपनी अब किसानों से हल्दी नहीं खरीद रही है।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि विधान सभा सचिवालय ने इसका संज्ञान लिया है तथा इस बारे में संबंधित विभाग को निर्देश दिए जाएंगे कि इस

विषय पर तुरंत कार्रवाई करे और की गई कार्रवाई से माननीय सदस्य और इस सदन को भी अवगत करवाए।

10. **श्री त्रिलोक जम्वाल**, **माननीय सदस्य** ने अपने विधान सभा क्षेत्र में भाखड़ा बांध से विस्थापित लोगों से संबंधित विषय उठाते हुए माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन किया कि जिस तरह से उन्होंने कोलडैम के संदर्भ में मीटिंग की थी वैसी ही एक मीटिंग बिलासपुर के आउस्टीज के साथ भी आयोजित की जाए ताकि हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके और जन-प्रतिनिधियों को भी उस मीटिंग में शामिल किया जाए।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदन ने इस विषय का संज्ञान लिया है और जिस प्रकार से माननीय सदस्य द्वारा सुझाव दिए गए हैं उनके कार्यान्वयन हेतु विभाग और सरकार से मामला टेक अप किया जाएगा और की गई कार्रवाई से माननीय सदस्य और माननीय सदन को भी सूचित किया जाएगा।

11. **श्री विनोद कुमार**, **माननीय सदस्य** ने नाचन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 5 सड़कें जिन पर भारी बरसात के बाद अभी तक बसें नहीं चल पा रही हैं, की मरम्मत करके उनकी बहाली बारे विषय उठाया। इसके अलावा उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र की अन्य विभिन्न सड़कों में पड़े मलबे को भी हटाने बारे आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि इन सड़कों के विषय में जो माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है इस पर विधान सभा सचिवालय ने संज्ञान लिया है और विभाग से हम चाहेंगे कि तुरंत इस पर कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई से आपको और माननीय सदन को भी सूचित करें।

12. **श्री लोकेन्दर कुमार**, माननीय सदस्य ने विषय उठाया कि कुर्पन वैली में फ्लड आने के बाद वहां कुछेक गावों की हालत बहुत खराब है और लोगों की जमीन पानी में बह गई है। सभी लोगों के पास के0सी0सी0 बना हुआ है और बैंक उनको लगातार नोटिस पर नोटिस निकाल रहे हैं परंतु सरकार की ओर से अभी तक वहां पर न कोई मुआवजे का प्रावधान किया गया है और न ही उनकी कोई रिपोर्ट बनी है। उन्होंने सरकार से

आग्रह किया कि उनके लिए कोई नीति लाई जाए ताकि बैंक उन्हें परेशान न करें।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य ने एक गंभीर विषय सदन के सामने रखा है जोकि बाढ़ से हुए नुकसान और भू-संरक्षण से संबंधित है। हम विभाग से इस विषय को टेकअप करेंगे और विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से आपको तथा सदन को अवगत करवाया जाएगा।

13. **श्री रणधीर शर्मा,** माननीय सदस्य ने नैनादेवी क्षेत्र के 35 गांव जो अभी भी सड़कों से नहीं जुड़े हैं, बारे सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा उन्होंने अपने क्षेत्र की चार प्रमुख सड़कें जो नाबार्ड में पेंडिंग पड़ी हैं, के संबंध में भी अपनी बात रखी तथा जल शक्ति विभाग की दो डी0पी0आर्ज0 जो नाबार्ड में पैंडिंग हैं उनकी स्वीकृति हेतु भी सरकार से आग्रह किया।

माननीय सदस्य ने यह भी विषय रखा कि जो माननीय विधायकों से रिपेयर/मेंनटेंस के अंतर्गत प्राथमिकताएं ली गई हैं उनके लिए भी डी0पी0आर्ज0 बने और उनका भी पैसा सैंक्शन हो। इसके अलावा जिन सड़कों की गिफ्ट डीड लोगों ने दे दी, इसको भी प्राथमिकता के आधार पर विभाग और सरकार से करने का आग्रह किया जाए

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य द्वारा निश्चित तौर पर बहुत सारी सड़कों व अन्य योजनाओं की ओर मान्य सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है और हम चाहेंगे कि सभी विभाग जिनसे संबंधित इनके विषय थे, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे और की गई कार्रवाई से माननीय सदस्य और माननीय सदन को भी सूचित करें।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अब वैसे तो शून्य काल का समय समाप्त हो चुका है लेकिन आज अंतिम दिन है इसलिए without lunch break, we want to finish it और मैं समझता हूं कि आज के शून्य काल के जो विषय शेष रह गये हैं वे जब अगला सत्र होगा उसमें टेक-अप होंगे।

(सत्तापक्ष व विपक्ष के कुछेक माननीय सदस्यों द्वारा शून्य काल के विषयों को आज ही टेकअप करने के लिए अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया गया जिसे अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया।)

14. **श्री प्रकाश राणा**, माननीय सदस्य ने जोगिन्द्रनगर बस अड्डे में लगी सुरक्षा दीवार को तोड़ने से उत्पन्न हो रही समस्या के संदर्भ में विषय उठाते हुए इसकी जांच करवाने का निवेदन किया।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य द्वारा एक गंभीर विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया गया है और हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे तथा प्राप्त की हुई जानकारी को आपसे सांझा भी किया जाएगा। इसके अलावा संबंधित विभाग या जहां से भी उपयुक्त होगा, इस समस्या का समाधान करने में हम आपका सहयोग करेंगे।

15. **श्री केवल सिंह पठानिया**, **माननीय उप-मुख्य सचेतक** द्वारा ग्राम पंचायत सुधेड़ में बनी डम्पिंग साइट से कूड़ा न उठाए जाने के कारण उत्पन्न हो रही समस्या के संदर्भ में विषय उठाया गया।

16. **श्री नीरज नैय्यर**, **माननीय सदस्य** ने चम्बा विधान सभा क्षेत्र में परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए नए नियम के कारण 38 व 42 सीटर बसों को पास न किए जाने से उत्पन्न हो रही समस्या के संदर्भ में विषय उठाया।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि जो तीन-चार विषय अभी शून्यकाल के तहत बचे हैं, वे अगले सत्र में टेकअप किए जाएंगे क्योंकि आज शून्यकाल में 40 मिनट का समय लग चुका है और आज सत्र की अंतिम बैठक भी है।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, माननीय मुख्य मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का 15वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2017 (2018 का अधिनियम संख्यांक10) की धारा 27 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्याः एस.जे.ई.-ए-एफ(10)-2/2019, दिनांक द्वारा 17.03.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 27.03.2026 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री विक्रमादित्य सिंह, माननीय लोक निर्माण मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

(i) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवम् अन्य संरचना विकास निगम का 24वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित) ; और

(ii) हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जू मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) की धारा-32 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एरियल रोपवेज (संशोधन) रूल्ज, 2026 जोकि अधिसूचना संख्याः पीडब्लयू0डी0 (सी) ए-(3)1/2024, दिनांक द्वारा 12.03.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 18.03.2026 को प्रकाशित।

3. विधायी कार्य

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री चन्द्र कुमार, माननीय कृषि मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 9) पुरःस्थापित हुआ।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, माननीय मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8)" पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित ने चर्चा की -

1. श्री रणधीर शर्मा
2. श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री त्रिलोक जम्वाल
4. संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री)

माननीय सदस्य द्वारा बिल पर चर्चा करने के उपरान्त **माननीय अध्यक्ष ने कहा कि** माननीय सदस्य, श्री त्रिलोक जम्वाल जी जो बात कह रहे हैं वह इससे रेलिवेंट नहीं है। चुनाव के बाद कोई भी सदस्य शपथ ग्रहण करें और दूसरे दिन हाउस डिजोल्व हो जाए तो he is entitled for the pensionary benefits. जो पेंशनरी बेनिफिट पूर्व विधायकों को मिलते हैं, यह उससे डिबार करने का प्रोविजन है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने ठीक कहा कि चौदहवीं विधान सभा के सदस्यों को पेंशन का प्रोविजन तब होगा जब वे इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। अभी तो आप सब इस सदन के सदस्य हैं। जो नहीं रहे हैं, that is not a retrospective. (व्यवधान) अभी हाउस डिजोल्व ही नहीं हुआ है। जो सदस्य 15वीं विधान सभा में दोबारा से चुनकर आएगा, he will not be entitle for pension, he will be entitle for the salary.

5. माननीय राजस्व मंत्री

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना ।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8)"पारित हुआ।

(ii) **श्री चन्द्र कुमार, माननीय कृषि मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 9)" पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा कीः-

1. श्री कुलदीप सिंह राठौर
2. डॉ0 हंस राज

माननीय कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 व 26 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री चन्द्र कुमार, माननीय कृषि मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 9)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 9)"पारित हुआ।

(iii) **श्री जगत सिंह नेगी, माननीय राजस्व मन्त्री (प्राधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4, 5 व 6 विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जगत सिंह नेगी, माननीय राजस्व मंत्री (प्राधिकृत) ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7)" पारित हुआ।

(iv) **श्री विक्रमादित्य सिंह, माननीय लोक निर्माण मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 व 17 विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री विक्रमादित्य सिंह, माननीय लोक निर्माण मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5)"पारित हुआ।

4. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री बिक्रम सिंह, सदस्य ने **नाभा आवासीय कॉलोनी (शिमला) में उत्पन्न हो रही सीवरेज व्यवस्था की गंभीर समस्या बारे** विशेष उल्लेख किया तथा **लोक निर्माण मंत्री** ने उत्तर दिया।

5. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा

(1) **श्री सुख राम चौधरी, माननीय सदस्य** ने दिनांक 18 मार्च, 2026 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3901 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की।

(13.40 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न सभापति पदासीन हुए।)

(13.43 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

माननीय उद्योग मंत्री(प्राधिकृत)ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) **श्री चंद्र शेखर, माननीय सदस्य ने** दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्याः 4250 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की।

माननीय राजस्व मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से विषय उठाया कि पिछले कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के चेस्टर हिल का मामला उठा था और मीडिया के माध्यम से उच्च पदों पर काम करने वाले अधिकारियों पर आरोप लगे हैं परंतु उसके बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्री

जी या सरकार के किसी मंत्री की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया। **उन्होंने चाहा कि** माननीय मुख्य मंत्री जी इस बारे में की गई कार्रवाई से सदन को अवगत करवाए।

इसके अलावा उन्होंने चाहा कि माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में एंट्री टैक्स के रेट्स रिवाइज करने के बारे में जो कहा था यदि वे रेट्स बदल गए हैं तो सदन में उसकी जानकारी दी जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष द्वारा सूचना

"पिछले एक वर्ष के अंदर विधान सभा की कमेटियों में बहुत से माननीय सदस्यों की उपस्थिति बहुत कम रही है। मेरे पास अभी डिटेल्स हैं, at this stage, I don't want to refer the details here in this House but the attendance of majority of the Members is 50 per cent or less than 50 per cent. So far as the Chairman of the Committees are concerned, except one or two Chairman जिसमें श्री संजय रत्न जी, श्री राम कुमार जी व एक-आध और ऐसे हैं जिनकी उपस्थिति शत-प्रतिशत रही है और जिन्होंने कमेटी सिस्टम में सक्रिय योगदान दिया है। माननीय सदन में कमेटियों की जो रिपोर्ट्स प्रस्तुत हुई हैं उनकी भी डिटेल्स मेरे पास है। I am going to reconstitute these Committees now from 3rd or 4th April और मेरा आप सभी से आग्रह है कि Best Parliamentarian Award, Best Attendance Award की भी हमने घोषणा की है। उसमें आपकी जो attendance in the House, attendance in the Committees system, will also be one of the parameters to be a best legislature, in the performance side and in the attendance side as well. मेरा आग्रह है कि आने वाले समय में जो कमेटियां बनेंगी और जो माननीय सदस्य उनके सदस्य या अध्यक्ष होंगे, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि वे कमेटी सिस्टम की ओर अधिक ध्यान दें तथा कमेटी मीटिंग्स को गंभीरता से लें क्योंकि कमेटी मीटिंग्स के माध्यम से हम बहुत सारा योगदान प्रदेश के हित में दे सकते हैं। ये कुछ बातें थीं जिनकी ओर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहा रहा था।"

सत्र का समापन

सत्र की समाप्ति पर माननीय मुख्य मंत्री का संबोधन

"अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र समाप्ति की ओर है और इस बार यह बजट सत्र दो भागों में हुआ। एक भाग वह था जिसमें प्रदेश के लोगों का अधिकार आर0डी0जी0 के रूप में मिलता था जिसे 16वें वित्त आयोग ने हमसे छीन लिया। एक बजट सत्र यह था कि उस आर0डी0जी0 के कटने के बाद हमने यह बजट प्रस्तुत किया लेकिन इस बजट के माध्यम से हमने अपने तरीके से आम आदमी तक राहत पहुंचाने की कोशिश की है ताकि उस पर इस बजट की चोट न लगे।

दूसरा, हमने विधायक निधि में भी कट किया है। हमने विधायकों की सैलरी और मंत्रियों की सैलरी में भी कटौती की है। पहली बार इतिहास में हमने ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर चीफ सेक्रेटरी से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और जो-जो डायरेक्टोरेट हैं उनके हेड्स की सैलरी में भी कट लगाया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों से हमें निपटना भी आता है। इस समय प्रदेश में जो यह आर्थिक चुनौती आई है यह कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। हमें मालूम है कि समस्याएं हैं और हम उनका समाधान भी ढूंढ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छे तरीके से सत्र को संभाला। मैं हमेशा नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री जय राम ठाकुर जी का सम्मान करता हूं क्योंकि वे हमारे सबसे वरिष्ठ विधायक भी हैं।

इसके अलावा मैं सभी विपक्ष के विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं चाहे श्री विपिन परमार जी हों, श्री बिक्रम जी हों, श्री रणधीर जी हों या श्री विनोद जी हों सभी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे और युवा सदस्यों में श्री त्रिलोक जम्वाल जी सहित सभी माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिए। हमारी तरफ से भी विधायकों ने अच्छे प्रस्ताव रखे।

अध्यक्ष महोदय, वाद और विवाद लोकतंत्र की परंपरा है। अपने विचार रखना भी लोकतंत्र की परंपरा है। वाद और विवाद में थोड़ा बहुत aggression होता है जोकि स्वाभाविक है और इस सभा को संभालने की जिम्मेदारी आप पर है और पहली बार

ऐसा देखा गया है कि आप बहुत धैर्यपूर्वक सबको सुन रहे थे। कई बार आप पुरानी परंपराओं को तोड़ कर नई परंपराएं भी स्थापित करते हैं।

यहां पर हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं। हमारे पुलिस कर्मचारी जिन्होंने यहां पर 24 घण्टे ड्यूटी देकर हमारा साथ दिया है तथा इसके अतिरिक्त हमारे विधान सभा के सभी अधिकारी/कर्मचारी व आज दीर्घा में जो हमारे तिब्बियन गवर्नमैंट के लोग बैठे हैं, हम आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी कार्यवाही बड़े शांतिपूर्वक ढंग से देखी तथा यह भी देखा कि हमारे बीच में वाद-विवाद कैसे होता है। यह बहुत अच्छी बात है और मैं आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका खासतौर से धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप जिस व्यवस्था को बना रहे हैं या जिस स्वरूप में वह आगे बढ़ रही है, वह भविष्य में हमें एक नई प्रेरणा देकर जाएगी।

सत्र की समाप्ति पर माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि विधान सभा के बजट सत्र का आज यह अंतिम दिन है और अध्यक्ष महोदय ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आता है इस सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव, बहस इत्यादि ज्यादा देखने को मिलती है लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारी चीजों का अच्छी तरह से संचालन किया। इस सदन के अंदर यह हम सभी लोगों के लिए एक तरह से खुशी का विषय भी है।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि इस बार यह बजट सत्र दो हिस्सों में आयोजित हुआ है मगर इसको दो हिस्सों में करने की आवश्यकता नहीं थी परंतु आपने फिर भी कर दिया। उसमें शायद आपकी कुछ राजनैतिक विवशताएं थीं।

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार का चौथा बजट सत्र था और इसके बाद अगला बजट आपका चुनावी वर्ष का होगा तथा वह इस सरकार का अंतिम बजट होगा। उसके बाद चुनाव होंगे। हिमाचल के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ कि पिछले वर्ष की तुलना में बजट कम किया गया। उसके लिए भले ही आप मुझे दोष देते हैं या हमारी केंद्र सरकार को दोष देते हैं लेकिन इस बात को हमें सहज रूप से लेना चाहिए कि न दोषी एक व्यक्ति है और न ही दोषी एक सरकार है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट का यह दौर बहुत लम्बे समय से बना है।

अध्यक्ष महोदय, आज सत्र समाप्त हो रहा है इसलिए अब बहुत बातों का जिक्र करना उचित नहीं है। मैं यही कहूंगा कि विधान सभा सचिवालय ने बहुत अच्छी मेहनत की क्योंकि इन दिनों में उनको बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं मीडिया के सभी साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इन्होंने हमारी बात जो हमने अपने हिसाब से यहां कही फिर इन्होंने अपने हिसाब से उस बात को मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता तक पहुंचाया है तथा स्वतंत्र रूप से पहुंचाया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी, सचिव, विधान सभा और पुलिस के कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं।

सत्र की समाप्ति पर माननीय अध्यक्ष का सम्बोधन

"इस चौदहवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र के दौरान सदन की कुल 16 बैठकें दो चरणों में आयोजित हुई जिसमें प्रथम चरण में 16 फरवरी से 18 फरवरी तक तीन दिन और दूसरे चरण की दिनांक 18 मार्च से 02 अप्रैल, 2026 तक कुल 13 बैठकें आयोजित की गई। सदन की कुल कार्यवाही 90 घंटे तक चली जिसकी प्रोडक्टिविटी 103 प्रतिशत रही। सत्र का आगाज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ हुआ। सदन में स्वर्गीय श्री भगत राम चौहान, पूर्व सदस्य को श्रद्धांजलि दी गई। इस सत्र में सरकार के द्वारा नियम-102 के अंतर्गत दिनांक 16/2/2026 को सदन में सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया गया कि प्रदेश को संविधान के अनुच्छेद 275 और 280 के तहत राजस्व सहायता अनुदान की राशि 5वें व 15वें वित्तायोग तक प्राप्त हो रही थी जोकि 16वें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष से बंद की गई है जिससे प्रदेश में आर्थिक संकट के हालात पैदा हुए। इसके दृष्टिगत यह सदन केंद्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि पूर्व में दी जा रही राजस्व सहायता अनुदान राशि प्रदेश की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर राजस्व घाटे के अनुरूप प्रदान की जाए। जिसमें सत्तापक्ष के 16 तथा विपक्ष के 15 माननीय सदस्यों ने 10 घंटे 55 मिनट चर्चा में भाग लिया। चर्चा के उपरांत माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 1 घंटा 44 मिनट उत्तर दिया। जिसमें माननीय सदस्यों द्वारा बहुमूल्य सुझाव दिए गए और सार्थक चर्चा उपरांत सदन में ध्वनिमत से प्रस्ताव को पास किया गया जिसे आगामी कार्रवाई हेतु विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। सदन में दो विधेयक जो माननीय राज्यपाल

महोदय द्वारा संबंधित विभागों को पुनर्विचार हेतु वापस किए थे, उन्हें सदन में पुनर्विचार उपरांत पुनः पारित किया गया। दिनांक 18 मार्च को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण किया गया जिस पर तीन दिन चर्चा हुई जिसमें पक्ष के 18, विपक्ष के 17 माननीय सदस्यों ने 11 घंटे 48 मिनट चर्चा में भाग लिया। चर्चा के उपरांत माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 1 घंटा 6 मिनट उत्तर दिया। दिनांक 19 मार्च, 2026 को सदन में अनुपूरक बजट प्रस्तुत और पारित किया गया। दिनांक 21 मार्च, 2026 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2026-27 प्रस्तुत किए गए। यह बजट ऐतिहासिक रहा क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा सबसे लंबा बजट भाषण इस सदन में पढ़ा गया जोकि लगभग 4 घंटे 10 मिनट का था। बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तीन दिन हुई जिसमें कुल 35 माननीय सदस्यों ने भाग लिया एवं चर्चा 13 घंटे 47 मिनट तक चली। चर्चा उपरांत माननीय मुख्य मंत्री ने दिनांक 25 मार्च, 2026 को एक घंटा चर्चा का उत्तर दिया। दिनांक 27 मार्च से 30 मार्च, 2026 तक बजट की अनुदान मांगों पर विपक्ष ने अपने-अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए तथा सार्थक चर्चा की। चर्चा उपरांत मुख्य मंत्री, मंत्रियों ने अपनी-अपनी मांगों से संबंधित उत्तर दिए एवं मांगे पारित हुई। तदुपरांत 30 मार्च, 2026 को शेष मांगे गिलोटिन द्वारा सभी पूर्ण रूप से पारित हुईं एवं विनियोग विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण हुआ।

सत्र में जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा हुई व सुझाव दिए गये जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। इस सत्र के दौरान कुल 471 तारांकित तथा 146 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए। सत्र में नियम-61 के अन्तर्गत 04 विषय, नियम-62 के अन्तर्गत 02 विषय तथा नियम-67 के अन्तर्गत 01 स्थगन प्रस्ताव जोकि "सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के रोस्टर में जिला उपायुक्तों को 05 प्रतिशत परिवर्तन से संबंधित था जिस पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वस्तुस्थिति से सदन को अवगत करवाया गया तथा इससे संबंधित स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया। सत्र में 01 दिन गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस हेतु निर्धारित था जिस पर माननीय सदस्यों ने नियम 101 के अन्तर्गत 04 गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए। इसमे 01 संकल्प चर्चा उपरान्त सदन द्वारा पारित किया गया तथा 01 संकल्प सदन द्वारा अगले सत्र के लिए स्थानांतरित किया गया तथा 2 संकल्पों पर समय के अभाव के कारण चर्चा नहीं हो सकी।

नियम- 130 के अन्तर्गत 01 विषय चर्चा हेतु निर्धारित था। इसके अतिरिक्त 9 सरकारी विधेयकों को भी सभा में पुरःस्थापित एवं चर्चा उपरान्त पारित किये गए। नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 01 विषय तथा शून्यकाल के दौरान 94 विषय सभा में उठाये गये तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया और अन्य विषयों के ऊपर विधान सभा ने संज्ञान भी लिया और सरकारी अधिकारियों से उन विषयों पर की गई कार्रवाई से माननीय सदन और माननीय सदस्यों को अवगत करवाने के निर्देश भी माननीय सदन ने दिए।

सदन में समितियों के 60 प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किये गये। इसके अतिरिक्त मन्त्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे गए तथा महत्वपूर्ण वक्तव्य भी दिये गए। 7 विधेयक जो पूर्व में सदन द्वारा पारित करने के उपरान्त स्वीकृति हेतु माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित किये गये थे जिन पर माननीय राष्ट्रपति तथा माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति मिलने उपरान्त सचिव विधान सभा द्वारा सदन के पटल पर रखे गए ।

सत्र के दौरान मेरा भरसक प्रयास रहा कि सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले। इसके लिए मैं सदन के नेता माननीय मुख्य मन्त्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी व नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी का विशेष धन्यवाद करता हूं जिनकी वजह से मैं इस माननीय सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित कर पाया। मैं उप-मुख्य मन्त्री जी, संसदीय कार्यमन्त्री जी तथा मन्त्री मण्डल के समस्त माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सदन में दोनों पक्षों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखा। मैं सभापति तालिका के सदस्यों का जिन्होंने कार्यवाही के संचालन में बहुमूल्य सहयोग दिया, का भी धन्यवाद करता हूं।

मैं माननीय सदन के समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस सदन की समय सीमाओं और नियमों का पालन करते हुए अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेश के विषयों को सदन में उठाया।

मैं राज्य सरकार व विधान सभा के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग के लिए उनका आभार करता हूं जिन्होंने इस सत्र के लिए दिन-रात कार्य कर इस सत्र से सम्बन्धित कार्य को समयबद्ध तरीके से निपटाने में पूर्ण सहयोग दिया ।

मैं प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही को प्रदेश के जन-जन तक पहुंचाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ में हमारे नेवा के कर्मचारियों ने भी इसमें विशेष सहयोग दिया। पुलिस परसोनल्स जो बाहर ड्यूटी पर थे और जो अंदर सुरक्षा हेतु जवान तैनात थे, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने भी सदन के संचालन में हमें अपना पूर्ण सहयोग दिया।

इससे पूर्व कि मैं सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करूं, मैं सभा मण्डप में उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन कंरूगा कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें ।

(राष्ट्रीय गीत गाया गया।)

इससे पहले कि मैं माननीय सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करूं, मेरा सभी विधान सभा सदस्यों से आग्रह है कि आज इस सदन के तीन माननीय सदस्यों का जन्मदिन है और इस अवसर पर तीनों माननीय सदस्यों ने केक काटने का आयोजन किया है। अतः आप सभी विधान सभा के कमेटी रूम में आमंत्रित हैं, ऐसा मुझे कहा गया है।

(02.45 बजे अपराह्न सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)